

झारखण्ड सरकार
पर्यटन निदेशालय

एम०डी०आई० भवन, द्वितीय तल, धुर्वा, राँची-4
फोन-0651-2400493, फैक्स-0651-2400492, ई-मेल-dirjharkhandtourism@gmail.com



Tourist Guide Training कार्यक्रम हेतु विज्ञापन

Ref. No. : 879.

Ranchi/ Dated : 27.06.2019

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा Institute of Hotel Management (IHM), Hajipur के सहयोग से Eco Tourism, Religious Tourism, Heritage Tourism एवं Rural Tourism के क्षेत्र में स्थानीय ग्रामीणों जिनकी आयु दिनांक-01.04.2019 को न्यूनतम 18 वर्ष हो, को गाईड के रूप में प्रशिक्षित करने हेतु "Tourist Guide Training" कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है।

- उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम 60 (साठ) दिनों की होगी।
- इच्छुक अभ्यर्थी विहित प्रपत्र में आवेदन संबंधित उपायुक्त को उपलब्ध करायेंगे।
- उक्त प्रशिक्षण के समाप्ति पर सफल उम्मीदवारों को प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाएगा।
- प्रशिक्षण के लिए योग्य उम्मीदवारों को नीचे अंकित विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा। प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों का चयन प्राथमिकता के आधार पर झारखण्ड के स्थानीय ग्रामीणों को "पहले आओ पहले पाओ" (First Come First Served) के आधार पर किया जाएगा।
- साधारण डाक/निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से हाथो-हाथ आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 30.09.2019 है।
- आवेदन प्रपत्र (Form) विभागीय वेब साईट (www.jharkhandtourism.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।
- उम्मीदवार के चयन में निम्न शर्तों का अनुपालन किया जायेगा :-
 - (i) उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना चाहिए तथा उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
 - (ii) अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र संबंधी मानक के आधार पर चयन किया जायेगा।

ह०/—
संयुक्त निदेशक,
पर्यटन निदेशालय, राँची।

प्रपत्र

Tourist Guide Training कार्यक्रम

फोटो
स्व अभिप्रमाणित

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. स्थायी पता :
.....
4. वर्तमान पता :
.....
5. लिंग (पुरुष/महिला) :
6. फोन नं०/मो० नं० :
7. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण-पत्र-छाया प्रति के साथ) :
.....
8. जन्म तिथि/उम्र (प्रमाण-पत्र-छाया प्रति के साथ) :
9. आरक्षण कोटि (प्रमाण-पत्र-छाया प्रति के साथ) :
10. अनुभव (यदि हो) (प्रमाण-पत्र-छाया प्रति के साथ) :
11. आधार संख्या (प्रमाण-पत्र-छाया प्रति के साथ) :

घोषणा पत्र

मैं सत्य एवं निष्ठा के साथ घोषित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही है। भविष्य में यदि कोई सूचना गलत पायी जाएगी तो इसके लिए मैं उत्तरदायी/दण्ड का भागी बनूँगा/बनूँगी।

स्थान :

तिथि :

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट : अपना आवेदन विहित प्रपत्र में भरकर तथा संबंधित लिफाफे के ऊपर "Tourist Guide Training" अंकित कर संबंधित जिले के उपायुक्त को साधारण डाक/निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जाए अथवा व्यक्तिगत रूप से हाथो-हाथ उपलब्ध कराया जाए।